न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 56 / 2022

श्री तेज प्रकाश गौड पुत्र स्व0 श्री कन्हैया लाल शर्मा, नमक का कटरा, भरतपुर।

.........अपीलार्थी

बनाम

सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर।

...........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 12.07.2022**

अपीलार्थी श्री तेज प्रकाश गौड पुत्र स्व0 श्री कन्हैया लाल शर्मा, नमक का कटरा, भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 24.04.2022 से सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से सूचना चाही गई थी। सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 22 / 428 दिनांक 07.07.2022 के द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर का जबाब पत्र कमांक / सू0अ0 / प्र( )2022 / 3904 दिनांक 12.07.2022 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.04.2022 द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से सूचना चाही गई है। सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से प्राप्त जबाब दिनांक 12.07.2022 में कथन किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना न्यास के पत्र कमांक / सू0अ0 / प्र( ) / 2022 / 2922 दिनांक 01.06.2022 से अपीलान्ट

...........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

के पते पर रजिस्टर्ड डांक द्वारा भिजवाई गई है जो बिना डिलीवर वापिस प्राप्त हुई है। न्यास के पत्र से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के मोबाईल नम्बर 9320528611 पर कई बार सम्पर्क किया गया है परन्तु आवेदक द्वारा कॉल रिसीव नही करना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कथन करना कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, स्वीकार योग्य नहीं रहता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को उसके वर्तमान पता प्लोट संख्या 212 मनीष अपार्टमेन्ट, शान्ती गोविन्द स्कूल के पास, चन्द्रपाडा नई गांव पश्चिम तह0 बसई जिला पालघर मुम्बई, महाराष्ट्र–401208 पर (नगर विकास न्यास से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति संलग्न कर) एवं सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर को भेजी जावें। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर